04.07.22 - पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील रेस्पोंडेन्ट बहस करेंगे। बहस पत्रावली दिनांक 11/07/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

11/07/22 - पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों से बहस सुनी गयी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपीलान्टगण :–

1. राजी पुत्री सिदिक
2. ईमणा पुत्री सिदीक

जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा, मालपुरा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण :–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मेहलू तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर
3. इनू पुत्री सिदीक
4. लतीबा पुत्री सिदीक
5. सतार पुत्र रमधान
6. मोहम्मद पुत्र रमधान
7. आलम पुत्र अमीन
8. जुजी उर्फ जुली पुत्री लुकमान पत्नि पप्पूखां
9. मीयण पत्नि लुकमान
10. कभीरखां पुत्र आलमखां

जाति मुसलमान निवासी धोलपालिया नाडा, मालपुरा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

11. प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 296 दिनांक [illegible]1984 जो ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा खसरा नम्बर 512 मौजा धोलपालिया न[illegible] पर पारित किया गया।

महोदयजी,

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :-

1. कि अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 3 से 10 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि वर्तमान में राजस्व ग्राम धोलपालिया नाडा पटवार क्षेत्र मालपुरा तहसील गुडामालानी में खेत खसरा नम्बर 512 रकबा 70.08 बीघा की भूमि आई हुई है जिसमें अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 3 व 4 के पिता सिदीक का 1/5 हिस्सा खातेदारी का था। वर्तमान जमाबंदी की फोटो प्रति साथ पेश है।

2. कि अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 3 व 4 के पिता सिदीक का स्वर्गवास वर्ष 1984 में हो गया था। सिदीक के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 296 दिनांक 18.06.1984 को स्वीकृत कर भरा गया था जो नामान्तरकरण अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 3 व 4 के सगे भाई मूसा अकेले को मृतक सिदीक का वारिश बताते हुऐ मूसा अकेले के नाम से स्वीकृत किया गया। जबकि मृतक सिदीक अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 3 व 4 तथा मूसा के पिता थे तथा अपीलान्टगण, उतरदाता संख्या 3 व 4 तथा मूसा को इस म्यूटेशन में सिदीक के विधिक उतराधिकारी होने के बावजूद भी अपीलान्टगण, उतरदाता संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया, तत्पश्चात मूसा के अविवाहित व लाऔलाद फौत होने पर मूसा के प्रथम श्रेणी के वारिश न होने से द्वितीय श्रेणी के सबसे नजदीक वारिश अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 3 व 4 होने के बावजूद भी उतरदाता संख्या 5 से 10 व उनके पूर्वजों ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 07.10.1992 को मूसा के स्थान पर उतरदाता संख्या 5 से 10 व उनके पूर्वजों का नाम दर्ज करवा दिया, जबकि अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 3 व 4 मूसा की सगी बहिनें होने के कारण प्रथम अधिकार अपीलान्टगण व उतरदातागण संख्या 3 व 4 का ही है, साथ ही नामान्तरकरण संख्या 7 इससे पहले स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 296 के आधार पर पारित किया गया है ऐसी स्थिति में जब नामान्तरकरण संख्या 296 ही अपीलान्टगण के लिये शुन्य व बेअसर है तो उसके बाद पारित नामान्तरकरण स्वयंमेव ही निरस्त होने योग्य है।

3. कि अपीलान्टगण को म्यूटेशन संख्या 296 के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई जो कि स्व. सिदीक की जांयदा पुत्रीयां है। उक्त नामान्तरकरण के बारे में अपीलान्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:28 IST
Reason: SelfAttested